पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16-01-2021

दिनांक 15/16-01-2021 को रात्रि थाना बाजारखाला 01, ठाकुरगंज 01, पीजीआई 01, इन्दिरानगर 02, गुडम्बा 02, गोमतीनगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 मध्य

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना आलमबाग:-दिनांक 16-01-2-2021 को थाना आलमबाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 18-11-2020 को वादिनी निवासी आलमबाग थाना आलमबाग लखनऊ द्वारा थाना आलमबाग पर अपनी 15 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सों एक्ट का अभियोग बनाम 01-मेहताब राजा के विरुद्व पंजीेत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री गिरजेटा कुमार गिरी थाना आलमबाग द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 15-01-2021 को एस0आई0 श्री गिरजेटा कुमार गिरी थाना आलमबाग द्वारा उपरोक्त मुकदमे के नामजद अभियुक्त **01-मेहताब राजा पुत्र गुलाब अली निवासी बारुन बाजार (मेहदौना) थाना इनायतनगर जनपद फैजाबाद** को मुखबिर की सूचना पर बस स्टाप आलमबाग से गिरफ्तार कर थाना आलमबाग पर आवटयक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध ७राब के साथ गिरफ्तार।

थाना काकोरी:-दिनांक 15-01-2021 को एस0आई0 श्री विनीत सिंह थाना काकोरी द्वारा अभियुक्त 01-भीमा पुत्र कालिया निवासी जागीर मजरा तेजकिशन खेडा थाना काकोरी लखनऊमोड ग्राम बदबदा खेडा काकोरी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद कर थाना काकोरी पर अभियोग पंजीेत किया गया।

यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना गोसाईगंज:-दिनांक 16-01-2021 को श्री बृजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01-अजय वर्मा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी सरई गुदौली थाना गोसाईगंज लखनऊ 02-नीरज यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम नकटामऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ के विरुद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध ७राब के साथ गिरफ्तार।

चिनहट:-दिनांक 16-01-2021 को एस0आई0 श्री सुदर्टन सिंह थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अभि0 1-रोटान पुत्र राजेन्द्र निवासी पी0ए0सी0 फार्म राय इन्क्लेव गेट के पास ग्राम धावा थाना चिनहट लखनऊ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची ७राब बरामद कर थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

सुटान्त गोल्फ सिटी:-दिनांक 16-01-2021 को थाना सुटान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री अम्ब्रीटा सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी 632/5 ७ंकर विहार कालोनी हनुमान मार्केट कमता थाना चिनहट लखनऊ ने थाना सुटान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 13-01-2021 को समय

करीब 02.30 बजे एक फोन नम्बर से वादी के फोन नम्बर पर कॉल आया, फोन करने वाले ने बताया कि वह नौकरी डाटकॉम से बोल रहा है, और उसने वादी से कहा कि आपको अपने जॉब प्रोफाइल ७ार्ट लिस्टेड करवानी है, तो वादी ने कहा कि कर दीजिए, फिर फोन करने वाले ने कहा आपको इसके लिए 10/-रुपये का पेमेन्ट करना होगा, इसके बाद आपको मोबाइल यहां से लिंक की जायेगी, उस पर साइन अप करना है, फिर वादी ने बताये गये 10/-रुपये का पेमेन्ट जैसे डन किया वह पूरा एरर आने लगा, जिसके तुरन्त बाद वादी के एकाउन्ट से 8890/-रुपये कट गये, फिर वादी ने फिर से उस लिंक पर क्लिक किया, फिर 1900/-रुपया वादी के एकाउन्ट से कट गया, फिर वादी ने दूबारा उस नम्बर पर फोन किया, जिस नम्बर से फोन आया, उस पर एक लड़की ने कहा आप अपना दूसरा एकाउन्ट नम्बर दे दीजिए, आपका पैसा ट्रांसफर हो जायेगा, तब वादी को ज्ञात हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना सु८ाान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 27/2021 धारा 420 भादवि धारा 66 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

MEDIA